

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *337
(12 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के उद्देश्यों की प्राप्ति

*337. श्री सुरेश कुमार कश्यप:
श्री कैप्टन बृजेश चौटा:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) शुरू किए जाने के उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य-वार और जिला-वार कुल कितने युवाओं को प्रशिक्षित और नियोजित किया गया;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान डीडीयू-जीकेवाई के लिए आवंटित निधियों का पूर्ण उपयोग किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान वास्तविक नियोजन दर की तुलना में अधिदेशित न्यूनतम रोजगार/नियोजन दर राज्य-वार और जिला-वार कितनी रही है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) जी हाँ, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) ने अपने उद्देश्य प्राप्त कर लिए हैं। डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत आरंभ से लेकर जून 2025 तक कुल 17,50,784 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और कुल 11,48,247 उम्मीदवारों को रोजगार मिला है।

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रशिक्षित और नियोजित युवाओं का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग) डीडीयू-जीकेवाई एक मांग-आधारित योजना है, इसलिए इसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निधि आवंटित नहीं की जाती है। तथापि, पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जून 2025 तक इस योजना के अंतर्गत आवंटित निधि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष	आवंटित निधि
--------------	-------------

2022-23	9405.05
2023-24	38370.58
2024-25	50000.00
2025-26	75000.00

डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत निधि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीधे जारी की जाती है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उपयोग/जारी की गई निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

(घ) डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत अधिदेशित, न्यूनतम नियोजन दर कुल प्रशिक्षित कुल अभ्यर्थियों का 70% है। इस योजना के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नियोजन दर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

अनुबंध-I

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में लोक सभा में दिनांक 12-08-2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न सं.337 के भाग (ख) एवं (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रशिक्षित और नियोजित उम्मीदवारों का न्यूनतम नियोजन दर सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:

सं	राज्य	2022-23			2023-24			2024-25			2025-26 से जून 2025 तक		
		प्रशिक्षित	नियोजित	% नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	% नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	% नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	% नियोजित
1	आंध्र प्रदेश	18616	17070	91.70	19829	18045	91.00	10328	9033	87.46	391	0	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	608	295	48.52	678	315	46.46	684	265	38.74	0	29	0.00
3	असम	12532	6817	54.40	10615	8571	80.74	5231	4127	78.90	883	44	4.98
4	बिहार	11516	9005	78.20	6733	7226	107.32	1709	1885	110.30	0	48	0.00
5	छत्तीसगढ़	9742	8484	87.09	3045	3958	129.98	1170	1759	150.34	166	55	33.13
6	गुजरात	2912	1450	49.79	3960	2729	68.91	3544	2584	72.91	733	216	29.47
7	हरियाणा	5554	2685	48.34	8478	4882	57.58	4492	3700	82.37	441	198	44.90
8	हिमाचल प्रदेश	3967	2175	54.83	4324	3187	73.70	3084	2273	73.70	773	399	51.62
9	जम्मू और कश्मीर	5459	2754	50.45	1177	1245	105.78	1767	636	35.99	294	102	34.69
10	झारखंड	10228	7343	71.79	11340	8157	71.93	6607	4911	74.33	1427	228	15.98
11	कर्नाटक	3757	2813	74.87	3795	2656	69.99	1797	1914	106.51	130	277	213.08
12	केरल	8623	5224	60.58	5212	4078	78.24	3052	2572	84.27	340	215	63.24
13	मध्य प्रदेश	15653	11287	72.11	12107	10538	87.04	5097	4756	93.31	1421	408	28.71
14	महाराष्ट्र	7830	4020	51.34	6381	4614	72.31	7761	4347	56.01	921	61	6.62
15	मणिपुर	1921	1266	65.90	782	854	109.21	263	356	135.36	741	49	6.61
16	मेघालय	2165	1353	62.49	1630	1352	82.94	1642	761	46.35	292	173	59.25
17	मिजोरम	344	349	101.45	725	499	68.83	723	474	65.56	199	70	35.18
18	नागालैंड	2371	1409	59.43	1714	1592	92.88	804	570	70.90	138	113	81.88
19	ओडिशा	16778	13248	78.96	3997	5330	133.35	947	1095	115.63	385	2	0.52
20	पंजाब	8121	7020	86.44	11803	8805	74.60	1979	3560	179.89	2830	224	7.92
21	राजस्थान	6092	6209	101.92	7233	4218	58.32	5376	4532	84.30	540	258	47.78
22	सिक्किम	859	384	44.70	1123	720	64.11	255	393	154.12	0	0	0.00
23	तमिलनाडु	15225	10648	69.94	13411	10206	76.10	5274	4803	91.07	750	94	12.53
24	तेलंगाना	7094	4564	64.34	92	230	250.00	2560	1271	49.65	708	144	20.34
25	त्रिपुरा	2244	1189	52.99	2126	1336	62.84	913	694	76.01	60	28	46.67
26	उत्तर प्रदेश	36567	21921	59.95	45215	33458	74.00	18080	16245	89.85	1366	585	42.83
27	उत्तराखंड	8248	4409	53.46	6026	5306	88.05	1894	2821	148.94	222	109	49.10
28	पश्चिम बंगाल	9596	4774	49.75	4979	5979	120.08	3172	1969	62.07	451	125	27.72
29	पुदुचेरी	844	343	40.64	956	919	96.13	436	444	101.83	30	3	10.00
30	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	133	38	28.57	547	225	41.13	242	196	80.99	34	0	0.00
	कुल	235599	160546	68.14	200033	161230	80.60	100883	84946	84.20	16666	4257	25.54

स्रोत: कौशल भारत पोर्टल

टिप्पणी:

- (i) डीडियू-जीकेवाई के अंतर्गत जिलावार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।
- (ii) वर्ष के दौरान प्रशिक्षित उम्मीदवारों की तुलना में अधिक उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया, क्योंकि पिछले वर्ष (वर्षों) के दौरान प्रशिक्षित उम्मीदवारों को भी नियोजित किया गया था।

अनुबंध-II

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में लोक सभा में दिनांक 12-08-2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न सं.337 के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध

जून 2025 तक डीडीयू-जीकेवाई के तहत पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:

(₹ लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 से जून 2025 तक
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	75.00
2	आंध्र प्रदेश	0.00	4350.86	1973.00	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	53.60	529.00	0.00
4	असम	0.00	2210.23	5000.00	0.00
5	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
6	छत्तीसगढ़	0.00	20.01	1394.00	0.00
7	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
8	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00
9	हरियाणा	0.00	0.00	1610.00	0.00
10	हिमाचल प्रदेश	2665.68	2631.74	3254.00	0.00
11	जम्मू और कश्मीर	58.82	0.00	0.00	0.00
12	झारखंड	1682.50	2786.45	4938.60	0.00
13	कर्नाटक	44.81	22.15	0.00	0.00
14	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00
15	मध्य प्रदेश	2096.97	2168.51	6002.00	0.00
16	महाराष्ट्र	0.00	25.73	0.00	0.00
17	मणिपुर	0.00	17.15	0.00	0.00
18	मेघालय	42.56	1247.36	1058.00	0.00
19	मिजोरम	0.00	0.00	496.00	0.00
20	नागालैंड	0.00	12.86	981.00	0.00
21	ओडिशा	175.77	3630.14	0.00	0.00
22	पुदुचेरी	35.76	439.74	349.98	0.00
23	पंजाब	1647.89	929.75	2872.00	1201.98
24	राजस्थान	0.00	0.00	2900.00	0.00
25	सिक्किम	0.00	673.93	312.00	0.00
26	तमिलनाडु	50.86	1876.32	2790.00	0.00
27	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00
28	त्रिपुरा	37.38	17.14	0.00	0.00
29	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
30	उत्तराखंड	43.86	41.79	0.00	0.00

31	पश्चिम बंगाल	0.00	16.44	0.00	0.00
	कुल	8582.86	23171.90	36459.58	1276.98

स्रोत: ग्रामीण कौशल प्रभाग के अभिलेख

टिप्पणी: दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के अंतर्गत निधियों के जिलावार उपयोग की जानकारी नहीं रखी जाती है।
